न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/4212/2004/जालौर

मानसिंह उर्फ मांगीसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति राजपूत निवासी आलावासी तहसील आहौर जिला जालौर

....**अपीलांट/वादी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहौर जिला जालौर।

....**रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री औंकार लाल दवे, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री ओ0पी0भट्ट, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार ।

निर्णय

दिनांकः– 19–08–2019

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर कैम्प–जालौर द्वारा अपील सं. 55/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–08–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहौर के समक्ष अपीलान्ट/वादी ने एक वाद

अन्तर्गत बाबत खातेदारी हक व स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम मौजा आलावासी तहसील आहौर स्थित विवादित आराजियात पुराने खसरा संख्या 48 रकबा 15 बीघा, खसरा संख्या 49 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रतिवादी राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। वादी ने उक्त वाद इस आशय के साथ पेश किया कि सरहद मौजा आलवासी के पुराने खसरा संख्या 49 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा के नये खसरा नम्बरान कायम कर करीब 68 एयर जमीन वादी के नाम खातेदारी घोषित की जावे। क्योंकि वादी की पूरी आराजी 18 बीघा 7 बिस्वा थी, जिसमें से 2 हैक्टर 26 एयर की खातेदारी मिलने के बाद शेष 68 एयर की खातेदारी रेकार्ड में अमल दरामद कर घोषित की जावे। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी राज्य सरकार ने अपना जवाबदावा इस आशय के साथ पेश किया कि वादी का कब्जाकाश्त व अधिकार मात्र खसरा संख्या 117 व 118 में ही है, इसके साथ ही यह भी विवेचित किया गया कि वादी भूमि खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी नहीं है तथा भूमि का वर्गीकरण नहीं किया गया। दावे व जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद में अनुतोष सहित 4 विवाद्यक कायम किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को अलग-अलग विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 31-12-1998 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी/अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 09-06-1999 के द्वारा स्वीकार करते हुए मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में पुनः विस्तृत जांच की जाए। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा मामले का पुनः नये सिरे से विचारण करने के बाद आज्ञा दिनांक 31-03-2001 पारित की गई, जिसके अनुसार वादी का वाद खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी/वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसमें अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 27-05-2002 पारित किया। उक्त निर्णय के अनुसार प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-03-2001 को अपास्त करते हुए प्रकरण को विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त आदेश की पालना में विचारण न्यायालय ने मामले में पुनः नये सिरे से विचारण करते हुए आज्ञा दिनांक 30-08-2003 पारित की।

उक्त निणर्यानुसार वादी का वाद अपास्त कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर कैम्प–जालौर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–08–2004 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी/वादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/वादी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं किया है, अतः उक्त निर्णय आदेश 41 नियम 31 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। आगे बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित निर्देशों के क्रम में विचारण न्यायालय ने अतिरिक्त तनकी कायम की, परन्तु उक्त तनकी को उपलब्ध रेकार्ड के विपरीत तय करने में विचारण न्यायालय ने भूल की है। उनका आगे कहना है कि बंदोबस्त विभाग ने उनके रकबे को गैरमुमकिन नदी के रकबे में मिला दिया है। इस बाबत उनका कहना है कि केवल मात्र रेकार्ड में इन्द्राजातों को परिवर्तन किया गया है, जबकि आराजी पर कब्जाकाश्त वादी का चला आ रहा है। उनका तर्क है कि बंदोबस्त विभाग ने वादी के रकबे को कम कर नदी में मिला दिया है, इस कारण वादी वाद के जरिये आराजी के खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी है। यहीं नहीं वादी की ओर से राजस्व विभाग के पटवारी को गवाह के रूप में न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिसने वादी के कथनों की ताईद की है। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी यह माना कि वादी का रकबा कम हुआ है तथा नदी के रकबे में वृद्धि हुई है। उनका आगे तर्क है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निष्पक्ष अधिकारी से मौके की जांच करवाने बाबत आज्ञा पारित की थी, लेकिन उपखण्ड अधिकारी ने गिरदावर से मौके की जांच रिपोर्ट को आधारित

करते हुए अपना निर्णय पारित कर दिया। यहीं नहीं वांछित मौका रिपोर्ट में भी वादी के रकबे को कम किए जाने बाबत अंकन किया गया है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर कैम्प–जालौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–04–2004 व सहायक जिला कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21–03–2003 को अपास्त किए जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील का विरोध करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायलयों द्वारा पारित निर्णयों का समर्थन किया है। उनका कहना है कि विवादित आराजी रेकार्ड में गैरमुमकिन नदी दर्ज है तथा ऐसी भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रावधित प्रावधानों के तहत खातेदारी से प्रतिबंधित है। उनका आगे कहना है कि वादी की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 128/189 है, इसके पडौस में उत्तर दक्षिण में खसरा संख्या 138 गैरमुमकिन नदी दर्ज है। आगे बताया कि वादी ने नदी के रकबे में करीब 2 हैक्टर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसके संबंध में भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की भी कार्यवाही चल रही है। उनका तर्क है कि वादी अपने कम हुए रकबे की भूमि किस खसरा नम्बरान से प्राप्त करना चाहता है, इस बाबत वाद में कोई उद्धरण नहीं लिया गया है। उक्त परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित है तथा जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने के कोई ठोस कारण अपीलार्थी ने प्रदर्शित नहीं किए है। अन्त में उन्होंने अपील खारिज कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत कायम रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण एवं दोनों

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. प्रकरण में यह स्वीकृति स्थिति है कि मामले में वादी की खातेदारी की भूमि बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान कम हुई है, जिसकी पूर्ति हेतु वादी ने हस्तगत वाद पेश किया है। वादी ने अपने वाद पत्र में यह कहीं अंकन नहीं किया कि कमी रकबे की पूर्ति कौनसे खसरा नम्बरान की भूमि से की जावे। अतः प्रथम दृष्टया वादी का वाद अस्पष्ट अभिवचनों पर आधारित होना पाया जाता है। हमारे द्वारा समग्र पत्रावली का विधिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया, जिसके अनुसार पत्रावली में दिनांक 28-03-1997 को तैयार की गयी मौका रिपोर्ट में अंकन है कि **मांगूसिंह के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 120/189 में है। इसके पडौस दानों तरफ उत्तर व दक्षिण में खसरा संख्या 138 गैरमुमकिन नदी की भूमि आई हुई है, जिस पर मांगूसिंह का अतिक्रमण चल रहा है, जिसका मामला धारा 91 के तहत विचाराधीन है। रिपोर्ट में आगे अंकन है कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 120/189 के पडौस में खसरा संख्या 138 गैरमुमकिन नदी में करीब 2 हैक्टर पर अतिक्रमण है।** उक्त रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण राजकीय अभिलेख है तथा इसको निर्मित्त करने वाला एक जिम्मेदार राज्य सेवक है। जिसके द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट को अन्यथा सिद्ध करने का कोई अकाट्य प्रमाण हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि उक्त रिपोर्ट में किए गए अंकन से वादी प्रथम दृष्टया विवादित आराजी बाबत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। द्वितीय विवादित आराजी की किस्म राजस्व रेकार्ड में गैरमुमकिन नदी दर्ज है। उपलब्ध विधिक प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में यह अभिवचित किया गया है कि रेकार्ड में दर्ज गैरमुमकिन नदी की भूमि बाबत किसी काश्तकार को किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। राजस्व रेकार्ड खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 के अनुसार आराजी बिला गैरमुमकिन नदी दर्ज है। इसी प्रकार के इन्द्राजात सम्वत 2019 की खसरा गिरदावरी में भी है। जमाबंदी सम्वत 2056-2059 के अनुसार विवादित रकबा गैरमुमकिन नदी दर्ज है। समग्र पत्रावली का विधिक दृष्टिकोण से परीक्षण करने पर हम पाते है कि मामले में विचारण

न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय व डिक्री 30–08–2003 को पारित करने में न्यायालय ने किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपनी क्षेत्राधिकारिता का दुरूपयोग किया जाना इंगित नहीं होता है। सारांशतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पायी जाती है।

8. उक्त विधि सम्मत निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलार्थी/वादी ने प्रथम अपीलीय न्यायालय ने समक्ष अपील पेश की, जिसे अपीलीय न्यायालय ने सारहीन होना घोषित करते हुए आक्षेपित निर्णय से खारिज किया है। अपीलीय न्यायालय ने मामले में विचारण न्यायालय के विधि सम्मत निष्कर्षों से सहमत होते हुए अपना निर्णय पारित किया है। जिससे हम सहमत है।

9. अपीलार्थी ने आक्षेप उठाया कि मामले में विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय विवाद्यकवार पारित किया है, जबकि ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय बिना विवाद्यक कायम किए पारित किए जाने से न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत कृत्य किया है। इस संबंध में हमारी राय के अनुसार यह उद्धरित करना उचित है कि मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निष्कर्षो से सहमत हुए अपना निर्णय पारित किए जाने की स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विवाद्यकवार निर्णय दिया जाना अपेक्षित नहीं है। अतः इस बाबत अपीलार्थी द्वारा लिया गया आक्षेप निराधार पाया जाता है। मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निष्कर्षों के विपरीत किन्हीं नवीन तथ्यों का समावेश अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं किए जाने के कारण प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होती है। अन्तोगत्वा स्थिति यह प्रकट होती है कि वादी ने अपना वाद असंगत आधारों को अभिवचित कर पेश किए जाने के कारण वह विवादित आराजी बाबत किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है।

10. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन पायी जाने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर कैम्प–जालौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–08–2004 एवं सहायक जिला कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) आहोर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–08–2003 को यथावत बहाल रखे जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य